क्रम-संख्या—165(क—1)

रजिस्ट्रेशन नम्बर—एस०एस०पी० / एल०—
डब्लू० / एन०पी०—91 / 2014—16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग—4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 9 अक्टूबर, 2025
आश्विन 17, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
श्रम अनुभाग—5

संख्या 1256 / 36-5-2025-36-5099/42/2023
लखनऊ, 9 अक्टूबर, 2025

अधिसूचना
प्रकीर्ण

सा0प0नि0—62

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश राज्य सेवायोजन अधिकारी सेवा नियमावली, 2019 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:—

उत्तर प्रदेश राज्य सेवायोजन अधिकारी सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2025

संक्षिप्त नाम, और प्रारम्भ

1—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश राज्य सेवायोजन अधिकारी सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2025 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी

नियम 3 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश राज्य सेवायोजन अधिकारी सेवा नियमावली, 2019 में, नीचे स्तम्भ—1 में दिये गये विद्यमान नियम—3 के उपनियम (ख) के स्थान पर स्तम्भ—2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात:—

स्तम्भ—1 विद्यमान उपनियम	स्तम्भ—2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
3(ख) सहायक जिला रोजगार सहायता अधिकारी और जिला रोजगार सहायता अधिकारी के पदों के सम्बन्ध में, 'नियुक्ति प्राधिकारी' का तात्पर्य निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश से है और सेवा में अन्य पदों के सम्बन्ध में राज्यपाल से है।	3(ख) सहायक सेवायोजन अधिकारी के पदों के सम्बन्ध में, 'नियुक्ति प्राधिकारी' का तात्पर्य निदेशक, सेवायोजन, उत्तर प्रदेश से है और सेवा में अन्य पदों के सम्बन्ध में राज्यपाल से है।

आज्ञा से,
डा0 एम0 के0 शन्मुगा सुन्दरम्,
प्रमुख सचिव।

222 RPH 2023 (Shram Anubhag-5) data 1e

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1256/ XXXVI -5-2025/36-5099/42/2023 dated October 9, 2025:

No. 1256/ XXXVI -5-2025/36-5099/42/2023

Dated Lucknow, October 9, 2025

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending The Uttar Pradesh State Employement Officers' Service Rules, 2019.

THE UTTAR PRADESH STATE EMPLOYMENT OFFICERS' SERVICES (FIRST AMENDMENT) RULES, 2025

Short title and commencement

1.(1) These Rules may be called The Uttar Pradesh State Employment Officers' Service (First Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall come into force at once.

Amendment of rule 3

2. In the Uttar Pradesh State Employment Officers' Service Rules, 2019 *for* existing Sub-rule (b) of Rule 3 set out in Column-1 below, the Sub-rule as set out in Column-II shall be *substituted*, namely:–

COLUMN- I *(Existing sub-rule)*	COLUMN- II *(Sub-rule as hereby substituted)*
3.(b) 'Appointing Authority' in respect of the posts of Assistant District Employment Assistance Officer and District Employment Assistance Officer means the Director, Training and Employment, Uttar Pradesh and in respect of other posts in the service, means the Governor.	3.(b) 'Appointing Authority' in respect of the posts of Assistant District Employment Assistance Officer means the Director, Employment, Uttar Pradesh and in respect of other posts in the service, means the Governor.

By order,

DR. M. K. SHANMUGA SUNDARAM,

Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 222 राजपत्र–2025–(658)–599 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/डीटी0पी0)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 4 सा0 श्रम–2025–(659)–500 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/टी0/डीटी0पी0)।

222 RPH 2023 (Shram Anubhag-5) data 1e